

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और**अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप****THE FORM OF THE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES****CANDIDATES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER GOVERNMENT OF INDIA**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री
श्री गांव / कस्बा जिला / मंडल
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के / की निवासी हैं और जाति /
जनजाति से संबद्ध हैं जिसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

This is to certify that Shri/Shrimati/ Kumari
..... son/Daughter* of Shri of village/town*
..... In the District / Division of the State/union
Territory* belongs to the caste/tribes which is
recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribes* under:-

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 * संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950* संविधान
(अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 * संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश,
1951 *

The constitution (Scheduled Castes) order, 1950*. The constitution (Scheduled Tribes) order, 1950* The
constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) order, 1951*. The (Scheduled Tribes) (Union Territories)
order, 1951*.

[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूची (संशोधित) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960;
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम,
1971 और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, (द्वारा
यथासंशोधित)1976।

[As amended by Scheduled Castes, Scheduled Tribes lists (modification) order, 1956, the Bombay
Recognition Act, 1960, the Punjab Recognition Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970 &
the North-Eastern Area (Recognition) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order,
(Amendment) Act, 1976.]

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956@

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes order, 1959@

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 अनुसूचित जातियां और अनुसूचित
जनजातियां (संशोधन) अधिनियम। 1976 द्वारा यथा संशोधित@

The Constitution (Andaman & Nicobar Islands) Scheduled Tribes order, 1959* as amended by the
Scheduled Castes and Scheduled Tribes order, Amendment) Act, 1976@

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962@

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order, 1962

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962@

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes order, 1962@

संविधान (पॉण्डिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962@

The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes order, 1964@

संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जातियां आदेश, 1967@
The Constitution(Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) order 1968@
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1967@
The Constitution(Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes order, 1968@
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968@
The Constitution(Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes order, 1968@
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970@
The Constitution(Nagaland) Scheduled Tribes order, 1970@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978@
The Constitution(Sikkim) Scheduled Castes order, 1978@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978@
The Constitution(Sikkim) Scheduled Tribes order, 1978@
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989@
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes order, 1989@
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991@
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance, 1991@
संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @
The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991@
संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1996 @
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance, 1996@

2. अनुसूचित जातियाँ/ अनुसूचित जनजातियाँ के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में स्थानांतरण कर चुके हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/ श्रीमती/ कुमारी*
ग्राम/ कस्बा* जिला/मण्डल*
राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र* जो
जाति/जनजाति* से संबद्ध हैं जिसे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र* में
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है, यह उनके पिता/माता* श्री/ श्रीमती
..... को जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

Application in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes /Scheduled certificate issued to
Shri/Shrimati Father/Mother* of
Shri/Shrimati/ Kumari of village/town*.....
in District/ division* of the State/union Territory*
..... belongs to the Caste/ Tribes which is
recognized as a Scheduled Castes /Scheduled Tribe in the State/union Territory* issued by the
.....

3. श्री/ श्रीमती/ कुमारी* और/या* उनका पति/पत्नी
आमतौर से ग्राम/ कस्बा* जिला/मण्डल*
.....राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र*
में रहते/रहती हैं।

Shri/ Shrimati/ Kumari and/ or* his/her family ordinary
reside (s) in village/town*.....the District/ division*
..... of the State/union Territory of

हस्ताक्षर/Signature

**नाम/ Designation

(कार्यालय की मुहर/ with seal of office)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र/ State/ Union Territory*

दिनांक/ Dated:

स्थान/Place

नोट/Note: *जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें/Please delete the words which are not applicable

@ कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें/ Please quote specific Presidential order

% जो पैराग्राफ लागू न हों उसे कृपया काट दें/ Delete the paragraph which is not applicable

अ) यहाँ "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की

धारा 20 में है।/ The term ordinarily used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the people Act. 1950.

आ) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची नीचे दी गई है।/ The authorities competent to issue Caste Certificate are indicated below:

i) जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ डिप्टी कमिश्नर/एडिशनल डिप्टी कमिश्नर/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी का स्टाइण्डरी मजिस्ट्रेट/ सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ एकस्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर (प्रथम श्रेणी स्टाइण्डरी मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे का न हो)।

District Magistrate/Additional Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional

Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant

Commissioner(not below the rank of 1st class Stipendiary Magistrate)

ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ एडीशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ Chief Presidency class Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.

iii) रेविन्यू ऑफिसर जिसका रैंक तहसीलदार से कम न हो/ Revenue Officer not below the rank of Tahasildar.

iv) उस इलाके का सब डिवीज़नल ऑफिसर जहाँ उम्मीदवार और/ या उसका पति/पत्नी आमतौर से रहता हो/ Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/ or his family resides.

नोट/Note: तमिलनाडु राज्य से संबंधित अजा उम्मीदवार केवल रेविन्यू डिवीज़नल अफसर से प्राप्त जाति प्रमाणपत्र जमा करें/ ST candidates belonging to Tamil Nadu state should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.